संख्या–376 / II–2011–03(27) / 2011

प्रेषक,

एन0के0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2010–11 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या 1308 / मु0अ0वि0 / बजट / बी–1, सामान्य, दिनांक 31.03.2011, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त संलग्न **बी0एम–15** के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से वित्तीय वर्ष 2010–11 में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1.24 लाख (₹ एक लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उसी योजना मद के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों सहित मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0 31.03.2011 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–20 के आयोजनेत्तर मद में संलग्न बी0एम0–15 के **स्तम्भ–5** मे उल्लिखित लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा **स्तम्भ–1** की बचतों से वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1026/XXVII-2/2010 दि0–31 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय,
(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

संख्या–376 (1) / II–2011–03(27) / 2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन ।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
6. समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नः यथोक्त

आज्ञा से,
(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

अनुदान संख्या–20
आयोजनेत्तर

नियन्त्रक अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभाग सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
वित्तीय वर्ष 2010–11

(धनराशि हजार ₹ में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय 2/2011 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि सहित लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5		6	7	8
2701 मध्यम सिंचाई 13 अन्य सिंचाई योजनायें 101 रखरखाव व मरम्मत 02 अन्य रखरखाव व्यय 01–अनुरक्षण कार्य 29–अनुरक्षण 21360	14364	4996	2000	2701–मध्यम सिंचाई 10–तुमरिया योजना 101–रखरखाव व मरम्मत 02–अन्य रखरखाव व्यय 01–अनुरक्षण कार्य 29–अनुरक्षण 25410	26	25436	21236	वित्तीय वर्ष 2010–11 में मद सं0 2701–13–अन्य सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि ₹ 21360 हजार का बजट प्राविधान अनुमोदित है, उक्त मद के अन्तर्गत 3/2011 तक कुल ₹ 19360 हजार का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त मद में ₹ 2000 हजार की बचत है। मद सं0 2701–10–तुमरिया योजना के अनुरक्षण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ₹ 25410 हजार का बजट प्राविधान अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष 2/2011 तक ₹ 19925 हजार का व्यय किया गया तथा 3/2011 तक अनुरक्षण कार्यों हेतु ₹ 5511 हजार का व्यय किया जाना प्रस्तावित है, अर्थात् कुल ₹ 25436 हजार का व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये ₹ 26 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त मद सं0 2702–102–लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के अनुरक्षण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ₹ 14640 हजार का बजट प्राविधान अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष 2/2011 तक ₹ 12317 हजार का व्यय किया गया तथा 3/2011 तक अनुरक्षण कार्यों हेतु ₹ 2421 हजार का व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये ₹ 98 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अतः उपरोक्त मदों के अन्तर्गत 2701–तुमरिया योजनाओं के अनुरक्षण कार्यों हेतु ₹ 26 हजार तथा 2702-लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के अनुरक्षण कार्यों हेतु ₹ 98 हजार अर्थात् कुल ₹ 124 हजार के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी, जो कि 2701–अन्य सिंचाई योजनाओं अनुरक्षण मद से पुनर्विनियोग किया जाना प्रस्तावित है।
				2702–लघुसिंचाई 03–रखरखाव 102–लिफ्ट सिंचाई योजनायें 03–अनुरक्षण कार्य 0029–अनुरक्षण 14640	98	14738		
योग– 21360	14364	4996	2000	40050	124	40174	21236	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नही होता है।

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
यू0ओ0 सं0– 1026 /(ए)/XXVII(2)/2010
देहरादून: दिनांक 31 मार्च, 2011

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त

महालेखाकार, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सं0 376 / I–2011–03(27)/2011, तद्दिनांक 31-03-11
प्रतिलिपि समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।